

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक-एफ 28( )परावि / प्रशा-2 / ग्रास / स्था पद / 2018 / 3029 जयपुर दिनांक 06/07/2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद- नागौर ।

**विषय:-** ग्राम सेवक(ग्राम विकास अधिकारी) के स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश जारी करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले की अधीनस्थ पंचायत समिति में कार्यरत निम्न ग्राम सेवक(ग्राम विकास अधिकारी) की संस्थापन संबंधी सूचनाओं से मिलान करते हुए स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश जारी कर, पालना से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

क्र.स	सर्व श्री / श्रीमति / सुश्री	कहाँ से(ग्रा.प./पं0स0)	कहाँ को (ग्रा.प./पं0 स0)
1	परमाराम	ग्राम पंचायत ढाढोता पं0स0 परबतसर (नागौर)	पं0स0 खीवसर (नागौर)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

**नोट:-**

- 1.उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से किया जावे ।
- 2.यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- 3.यदि किसी कार्मिक की परीवीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- 4.यदि किसी कार्मिक के स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा रहा है तो उस कार्मिक का भी पदस्थापन इसी आदेश में अन्य रिक्त पद पर किया जाना सुनिश्चित करावे ।

(राजेन्द्र शंखर मक्कड)  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव

**प्रतिलिपि:-** ए.सी.पी मुख्यालय को विभाग की बैबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित है ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव